न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 316/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/506

प्रार्थीगण

1.जीवाराम पुत्र चौथाराम

2.भटाराम पुत्र सोनाराम

3.रघुवीर पुत्र भटाराम

4.शंकरलाल पुत्र चौथाराम

5.सवाईजीत पुत्र भटाराम

जाति भाट

निवासी मेवानगर

तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1.वगताराम पुत्र दयाराम

2.ताजाराम पुत्र श्रीराम

3.मिरगोदेवी पत्नी लालाराम

4.मोतीराम पुत्र लालाराम

5.रूगाराम पुत्र लालाराम

6.वेनाराम पुत्र लालाराम

जाति जाट

7.कानाराम पुत्र खीमाराम

8.राकेश पुत्र जगदीश

9.लालुराम पुत्र खीमाराम

10.हंजूदेवी पत्नी जगदीश

11.हनुमानाराम पुत्र खीमाराम

जाति भाट निवासी मेवानगर

तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

12.ग्राम पंचायत मेवानगर जरिए सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मेवानगर

13.राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारक तहसीलदार, पचपदरा

14.भारतीय स्टेट बैंक (S.B.B.J.) शाखा जसोल जिला बालोतरा जरिए मैंनेजर/शाखा प्रबंधक

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थिति–

1. श्री महावीर जीनगर अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश

दिनांक 13/01/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1117/183 क्षेत्रफल 5.6656 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 184 क्षेत्रफल 4.1035 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1117/183 क्षेत्रफल 5.6656 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 184 क्षेत्रफल 4.1035 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1117/183 क्षेत्रफल 5.6656 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 184 क्षेत्रफल 4.1035 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। अंत मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1117/183 क्षेत्रफल 5.6656 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 184 क्षेत्रफल 4.1035 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावें।

4.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1117/183 क्षेत्रफल 5.6656 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 184 क्षेत्रफल 4.1035 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। प्रार्थीगण की ओर से विवादित आराजी की मौका फर्द रिपोर्ट पेश नही की गए,जिससे साबित हो कि विवादित आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद हो। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलो को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है,अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत् तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना–पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिंक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मेवानगर पटवार हल्का मेवानगर तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1117/183 क्षेत्रफल 5.6656 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 184 क्षेत्रफल 4.1035 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए पैमाईश कर विधिनुसार कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 13.01.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा 13/1/25